>

Title: Need to give status of a full-fledged state to Delhi.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले काफी समय से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की सतत् मांग रही है। लेकिन अब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली का चहुंमुखी विकास नहीं हो पा रहा है।

हालांकि दिल्ली में विधान सभा की स्थापना की गयी है और इसकी अपनी एक सरकार है। लेकिन दिल्ली सरकार को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो किसी एक पूर्ण राज्य की सरकार को प्राप्त होते हैं और यही एक मुख्य कारण है कि जिस तेजी के साथ दिल्ली का विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है।

एक राज्य की चुनी हुई सरकार का मुख्य दायित्व राज्य में कानून व्यवस्था को बनाते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लेकिन कानून व्यवस्था जो राज्य सरकार का मामला है, उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की न होकर संघ सरकार की है। जब दिल्ली में विधान सभा की स्थापना करते हुए एक लोकतांत्रिक राज्य सरकार की स्थापना की गयी है, तो राज्य सरकार को ही कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर राज्य सरकार को वे सभी अधिकार दिये जाएं, जो अन्य राज्यों की सरकारों को प्राप्त हैं।